

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- कृष्ण गोपाल जोजन

प्रकरण सं० 184/2019

दायर दिनांक: 12/12/2019

उनवान

1. महावीर प्रसाद आयु 33 वर्ष पुत्र शिवचरण
2. भवानीशंकर आयु 29 वर्ष पुत्र शिवचरण
3. कौशल्या आयु 38 वर्ष पुत्री शिवचरण
4. सुगना बाई आयु 36 वर्ष पुत्री शिवचरण जातियान धाकड निवासीगण मेरमा तालाब तह० अटरू जिला बारा (राज०)

वादीगण

बनाम

1. शिवचरण आयु 66 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी मेरमा तालाब तह० अटरू जिला बारा (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश

दिनांक :23/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 293 का ख० न० 567 का रकबा 0.52 है० ख० न० 570 का रकबा 0.31 है० ख० न० 574 का रकबा 0.31 है० ख० न० 1088 का रकबा 1.36 है० ख० न० 1115 का रकबा 0.75 है० कुल कित्ता 5 का रकबा 3.25 है० प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077,ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र , वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद० 1 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी भैरूलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादीक्रम 1 को पिता भैरूलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न० 1 मे वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी

क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5, 1/5, बनता है जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/5 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादीक्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 03.09.2019 को प्रतिवादीक्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/5, 1/5 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज करवाया जावे। परन्तु प्रतिवादीक्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नहीं बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 में वर्णित आराजी में जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से 1/5 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/5 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 30.10.2019 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावे। जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल मेरमा तालाब तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीक्रम 1 सादिर फरमाई जावे।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 के

मुताबिक हिस्सा 1/5, 1/5, राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री चन्दालाल नागर एड० द्वारा वकालत नामा पेश किया गया वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी ग्राम व माल मेरमा तालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 293 का ख० न० 567 का रकबा 0.52 है० ख० न० 570 का रकबा 0.31 है० ख० न० 574 का रकबा 0.31 है० ख० न० 1088 का रकबा 1.36 है० ख० न० 1115 का रकबा 0.75 है० कुल कित्ता 5 का रकबा 3.25 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। जो प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5, 1/5 बनता है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो निम्न प्रकार है।

ग्राम व माल मेरमा तालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 293 की ख०न० 567 की 0.52 है० आराजी को वादी क्रम 3 कोशल्या बाई 4 सुगना बाई व प्रतिवादी क्रम 1 शिवचरण के खाते दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

ग्राम व माल मेरमा तालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 293 की ख०न० 570 की 0.31 है० ख०न० 574 की 0.31 है० ख०न० 1088 की 1.36 है० ख०न० 1115 की 0.75 है० आराजी को वादी 1 महावीर प्रसाद 2 भवानी शंकर के खाते दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

ग्राम मेरमा तालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 293 की ख०न० 567 की 0.52 है० आराजी का हकत्याग वादी क्रम 3 कोशल्या बाई 4 सुगना बाई व प्रतिवादी क्रम 1 शिवचरण ने अपने भाई/पुत्र वादी क्रम 1 महावीर प्रसाद 2 भवानी शंकर के पक्ष में कर दिया है।

ग्राम व माल मेरमा तालाब तहसील अटरू की खाता संख्या 293 की कुल कित्ता 5 की 3.25 है० आराजी में वादी क्रम 1 महावीर प्रसाद 2 भवानी शंकर को हिस्सा 1/2, 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य हुए राजीनामों को तस्दीक किये जाने की कृपा करें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड० द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री चन्दा लाल नागर एड०वोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा०फा० किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम मेरमातालाब की खाता संख्या 293 की कुल किता 5 की 3.25 है0 प्रतिवादी क्रम 1 खाते दर्ज है। उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब की खाता संख्या 293 की कुल किता 5 की 3.25 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 में से राजीनामानुसार वादी क्रम 1 ल 4 व प्रतिवादी क्रम 1 को $1/5-1/5$ हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, वादी क्रम 3, 4 व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा $1/5, 1/5, 1/5$ का हकत्याग वादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में करने से वादी क्रम 1 व 2 को $1/2-1/2$ हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार हकत्याग स्टाम्प शुल्क वसूल पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा रहन का नोट SBI अटरू का नोट दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 184/2019

उनवान

1. महावीर प्रसाद आयु 33 वर्ष पुत्र शिवचरण
2. भवानीशंकर आयु 29 वर्ष पुत्र शिवचरण
3. कौशल्या आयु 38 वर्ष पुत्री शिवचरण
4. सुगना बाई आयु 36 वर्ष पुत्री शिवचरण जातियान धाकड निवासीगण मेरमा तालाब तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. शिवचरण आयु 66 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी मेरमा तालाब तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब की खाता संख्या 293 की कुल किता 5 की 3.25 है0 में प्रतिवादी कम 1 में से राजीनामानुसार वादी कम 1 ल 4 व प्रतिवादी कम 1 को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, वादी कम 3, 4 व प्रतिवादी कम 1 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5, 1/5, 1/5 का हकत्याग वादी कम 1 व 2 के पक्ष में करने से वादी कम 1 व 2 को 1/2-1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार हकत्याग स्टाम्प शुल्क वसूल पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा रहन का नोट SBI अटरू का नोट दर्ज किया जावें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.12.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

